



DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT GOVERNMENT OF INDIA



NATIONAL SAFETY AWARDS (MINES), 2021

In recognition of good safety performance in the mines covered under the Mines Act, 1952 (now subsumed in OSH & WC code, 2020), the Government of India, Ministry of Labour and Employment has instituted National Safety Awards (Mines). These prestigious awards for safety of mine workers in Coal, Metalliferous and Oil mines are being presented to the mines every year in two categories-

- i) Longest Accident Free Period, and
- ii) Lowest Injury Frequency Rate.

Online applications are hereby invited from Owner/Agent/Manager of mines coming under the purview of Mines Act, 1952, for National Safety Awards (Mines) for the contest year 2021. The last date of filling online applications is 11.11.2022. Interested Mine management/Companies are required to apply **online** from 11.10.2022 to 11.11.2022 and no other mode of application will be accepted. The schedule of submitting online applications is as follows:

SI.	Schedule	Date & Time
1.	Opening date for Registration and Online application for NSA(Mines), 2021	11.10.2022, 0000 hrs
2.	Closing date for submitting online application	11.11.2022, 2400 hrs

Note:- No application fee is required for contesting mines.

It is also requested to send the print out of completely filled in applications with signature of competent authority on each page to "THE MEMBER SECRETARY, NSA (MINES) COMMITTEE & DIRECTOR OF MINES SAFETY (STAT), DGMS, DHANBAD – 826001 (JHARKHAND)".

For submitting online applications and detailed instruction on filling online applications please visit www.dgms.gov.in and go to National Safety Awards(Mines) menu then select Register/Apply online for National Safety Awards(Mines).

For any clarification applicant may send email to dir.stat.dgms@gmail.com.

Director General of Mines Safety & Chairman, National Safety Awards (Mines) Committee





खान सुरक्षा महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार



राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार(खान), 2021

खान अधिनियम 1952 (ओ.एस.एच तथा इब्ल्यु सी कोड,2020 में समाहित किया गया है) के अंतर्गत खानों में बेहतर सुरक्षा निष्पादन की पहचान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) की शुरूआत की है। ये सम्मानजनक पुरस्कार खनन श्रमिकों की सुरक्षा के हित में कोयला, धातु एवं तेल खानों के लिए प्रति वर्ष दो श्रेणियों में प्रदान किया जा रहा है।

- i) दीर्घतम दुर्घटना मृक्त अवधि, एवं
- ii) निम्नतम चोट आवृत्ति दर

प्रतियोगिता वर्ष 2021 हेतु, खान अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले खानों के मालिक/एजेंट/प्रबंधक द्वारा इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11.11.2022 है। इच्छुक खनन प्रबंधन एवं खनन कंपनियाँ दिनांक 11.10.2022 में 11.11.2022 तक **ऑनलाइन** आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की दूसरी अन्य विधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अनुसूची निम्नवत है:-

क्रम सं	अनुसूची	तिथि एवं समय
1.	राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार(खान), 2021 के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने तथा पंजीकरण आरंभ होने की तिथि	11.10.2022, 0000 घंटा
2.	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	11.11.2022, 2400 घंटा

प्रतियोगी खानों के लिए कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन की मुद्रित प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कर आवेदन प्रत्र <u>"सदस्य सचिव, राष्ट्रीय</u> सुरक्षा पुरस्कार (खान) समिति एवं खान सुरक्षा निदेशक (सांख्यिकी), खाःसुःमःनि, धनबाद - 826001 (झारखंड)", के पते पर प्रेषित किये जाएं।

ऑनलाइन आवेदन करने एवं ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु कृपया <u>www.dgms.gov.in</u> पर जाएँ एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)के मेनु पर जा कर पंजीकरण करें तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) के विकल्प पर ऑन लाईन आवेदन करें।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए आवेदक dir.stat.dgms@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं।

खान सुरक्षा महानिदेशक एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) समिति